न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

[पी]ठासीन अधिकारीः—सुनिता यादव(आर0ए0एस0)

[मुक]दमा संख्याः— 141/18

चांदी W/o भंवरदास बैरागी नि. तिलोली तह. व
जिला - भीलवाड़ा

---प्रार्थीगण

बनाम

बालू S/o हीरू जैन नि. तिलोली

कुन्दन S/o बालू नि.

भोला S/o देवा गाडरी नि. - तिलोली

--विपक्षीगण

Rs.2 FEE INDIA RUPEES FEES ONLY

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भ0 राजस्व अधिनिय 1956

:: निर्णय :: दिनांकः— 6/6/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—126 रा0भू0राज0 अधिनियम [1]956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तिलोली पटवार हल्का तिलोली तहसील [व] जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1935/1738 .... कुल किता 1 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि [के] विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश [प्र]दान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29-5-18 को पंजीबध्द किया जाकर [प्र]करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिध्द है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की [ह]ोने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा—फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलोली पटवार ह0 तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1935/1738 .... कुल किता 01 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक पुर को 500 /—रू0(अक्षरे— पांच सौ) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः— तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner